

दिनांक: 29 अक्टूबर 2025

C2R/2025-26/284

## भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमा पार आवक भुगतानों में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देशों पर मसौदा परिपत्र पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर [सीमा-पार आवक भुगतानों में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देशों पर एक मसौदा परिपत्र](#) जारी किया है। इस मसौदा परिपत्र पर बैंकों से **19 नवंबर 2025** तक टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित हैं। अतिरिक्त टिप्पणियाँ या कोई भी अनुलग्नक "सीमा-पार आवक भुगतानों में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देशों पर मसौदा परिपत्र पर प्रतिक्रिया" विषय पंक्ति के साथ [इमेल](#) द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।

### पृष्ठभूमि और उद्देश्य

2. रिजर्व बैंक के [भुगतान विज्ञन 2025](#) का उद्देश्य सीमा पार भुगतानों में दक्षता लाना है, जो सीमा पार भुगतानों के लिए जी20 रोडमैप के अनुरूप है, जिसमें सस्ते, तेज़, पारदर्शी और सुलभ सीमा-पार भुगतान प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लाभार्थी बैंक में भुगतान प्राप्त होने और लाभार्थी के खाते में जमा होने के बीच होने वाला विलंब सीमा-पार भुगतान की गति से जुड़ी चुनौतियों में से एक है। इस मसौदा परिपत्र का उद्देश्य भुगतान संबंधी सूचना के समय पर संचार और लाभार्थी खाते में भुगतान जमा को सुगम बनाने के लिए कुछ असुविधाओं को दूर करना है।

मसौदा परिपत्र: [पीडीएफ \(177.03 KB\)](#)